International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11, November- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

डॉ. भीमराव अम्बेडकर: लोकतंत्र के प्रति अपेक्षा

डॉ. गोपाल संह

सह-आचार्य (राजनीति वज्ञान)

राजकीय महा वद्यालय, शवगंज सरोही

डॉ. अम्बेडकर ने लोकतंत्र का कोई अपना सिद्धान्त नहीं दिया। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि प्रजातंत्र एक बिन्दु नहीं है। यह एक ढंग है। यह एक ऐसी जीवन पद्धति है , जिसमें समयानुसार अनेक परिवर्तन होते रहते है। स्वयं अम्बेडकर ने कहा ''प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और ऐसी कोई वस्तु नही है जो मानव इतिहास में स्थाई हो।''[1] प्लेटो और अरस्तु के बाद जो कि सामाजिक और राजनैतिक विचारों के जन्मदाता माने जाते है अनेक विचारक आये। उन्होंने अपने–अपने ढंग से लोकतंत्र के अर्थ बताए। उन्होंने जनतंत्र के सैद्धान्तिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने प्रजातांत्रिक विचारों को वैचारिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने व्यावहारिक पहलू पर भी अधिक बल दिया। व्सायवहारिक जनतंत्र में ही उनकी अटूट आस्था थी और एक बार उन्होंने घोषणा भी की कि हमारा यह महान् कर्तव्य है कि हम जनतंत्र को जीवन–सम्बन्धों के मुख्य सिद्धान्त के रूप में संसार से समाप्त न होने दें। यहि हम लोकतंत्र में विश्वास करते है तो हमें उसके प्रति सच्चा वफादार होना चाहिऐ। हमें लोकतंत्र में केवल विश्वास ही प्रकट नहीं करना चाहिए, वरन् हम जो कुछ भी करें हमें अपने शत्रुओं को जनतंत्र के मूल सिद्धान्त, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अन्त करने में सहायता नहीं करनी चाहिए।[2]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11, November- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

लोकतंत्र का व्यावहारिक पक्ष–

व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से डॉ. अम्बेडकर ने लोकतंत्र को ही भारत की परिस्थितियों में आवश्यक बताया। स्वतंत्रता संग्राम के समय उनका मुख्य उद्देश्य शोषितों के लिए न्याय एवं मानव अधिकार प्राप्त करना था। इसलिए ऐसी सरकार का समर्थन किया जो जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा बनाई गई हो। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार ''लोकतंत्र संगठित रूप से रहने का एक ढंग है। लोकतंत्र की जड़ें जो लोग संगठित रूप से समाज का निर्माण करते है, उनके ही सामाजिक सम्बन्धों में मिलती है।''[4] डॉ. अम्बेडकर एक व्यावहारिक लोकतत्रवादी थे और समाज के लोकतांत्रिक प्रबन्ध में उनका अटूट विश्वास था।

डॉ. अम्बेडकर का कहना है कि सामान्य लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए यह बिल्कुल सच है क्योंकि अशिक्षा एवं अज्ञान ही इसके महान शत्रु है। लोग इस योग्य होने चाहिये कि व राजनेतिक दलों तथा उनके मसविदों को भली भांति समझे और उसके बाद अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करें। अम्बेडकर के अनुसार लोकतांत्रिक समाज केवल सिद्धान्तों तक ही सीमित नहीं है। उसका व्यावहारिक पहलू भी होता है। उनका सम्बन्ध, जनता की वास्तविक स्थितियों से होता है। इससे केवल उन्हीं लोगों को लाभ नहीं होना चाहिये जो पहले से ही धनी है। परम्परावादी सामाजिक ढांचा जिन लोगों के पक्ष में है, उन्हीं का लाभ होना, लोकतंत्र का गला दबाने के बराबर है। इसलिए अम्बेडकर ने कहा एक लोकतांत्रिक समाज को यह चाहिये कि वह प्रत्येक नागरिक को अवकाश तथा संस्कृति का जीवन प्रदान करें।[5] भारत का परम्परावादी सामाजिक ढांचा लोकतंत्र का महान शत्रु है, इससे लोगों में ऊंच–नीच, गरीब–अमीर, नौकर–मालिक की भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। ''व्यावहारिक दृष्टि से ऐसी समाज व्यवस्था में एक ओर दमन, अभिमान अन्याय और स्वार्थ आदि पाये जाते है और दूसरी और असुरक्षा, निर्धनता, पतन, स्वतंत्रता का ह्रास, आत्मसम्मान की हानि, आत्म विश्वास का लोप आदि होते है।''[6] लोकतंत्र समाज में इन सब बातों को कोई भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। ऐसा अम्बेडकर का सुझाव था।

लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान बराबर समझा जाना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सभी लोग

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11, November- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

अपनी–अपनी योग्यतानुसार योगदान करते है लेकिन अल्प संख्यकों के हाथ में शक्ति नहीं होती। समाज विरोधी मानकर लोकतंत्र का शत्रु कहना और उन पर अत्याचार करना न्यायोचित नहीं है। किसी भी रूप में किया जाना वाला अन्याय लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है।[7] अतः डॉ. अम्बेडकर जैसे स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए, लोकतंत्र ही उत्तम व्यवस्था है।

संसदात्मक लोकतंत्र की ओर–

डॉ. अम्बेडकर एक महान ज्ञाता एवं विद्वान थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति तथा पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने लोकतांत्रिक विचारों को केवल पाश्चात्य दर्शन से ही नही लिया उनको उन्होने भारतीय परम्पराओं से भी ढूंढ कर निकाला। भारतीय संस्कृति की नैतिक एवं उपयुक्त परम्पराओं में उनकी अटूट आस्था थी। अम्बेडकर ने एक बार कहा कि ''इस समय संसदात्मक लोकतंत्र से हम लोग अन्जान है, लेकिन एक समय था जब भारत में संसदात्मक संस्थाएं थी। प्राचीन समय में, भारत बहुत ही प्रगतिशील था। हमारे साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण है जिनसे हम यह सिद्ध कर सकते है कि संसदात्मक सरकार की व्यवस्था से हम अन्जान नहीं थे।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, संसदात्मक राज्य व्यवस्था से उत्तम परिणाम निकलते है, क्योंकि इसमें योग्यता एवं सहयोग, आत्म–सम्मान एवं आत्म– सहायता, संयम एवं कर्तव्य के प्रति, निष्ठा जैसे महान गुणों पर करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए बल दिया जाता है। इसकी व्यवस्था यदि ठीक हो तो सब लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त होते है।

भारतीय समाजवादी रूस जैसी सरकार की व्यवस्था के पक्ष में थे उन्होंने यह घोषणा भी की कि यदि उनके हाथ में राजनेतिक शक्ति आई तो वे अपनी इच्छानुसार संशोधन कर देगें। अम्बेडकर ने इस विरोधी बातों के होते हुए भी संसदात्मक सरकार का समर्थन किया ताकि भारतीय संस्कृति की लोकतांत्रिक परम्पराओं की पुनरावृति हो सकें ''व्यक्तिगत रूप से मेरी रूचि सरकार की संसदात्मक व्यवस्था में है, हमें समझना चाहिये की यह क्या है और भारतीय संविधान में इसे पूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।[9]

डॉ. अम्बेडकर संसदात्मक सरकार की ओर इसलिए आकर्षित थे कि इसके अन्तर्गत आत्मोन्नति, आत्म सम्मान तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है। इसमें उत्तम

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11, November- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

राष्ट्रीय चरित्र को प्राथमिकता दी जाती है। संसदात्मक सरकार एक उत्तम व्यवस्था की द्योतक है। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने संसदात्मक लोकतंत्र को ही प्राथमिकता दी और अन्त में यह कहा– कुछ ऐसे क्षण भी आते है जब मैं यह सोचता हूॅ कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य बहुत ही अन्धकारमय है'' लेकिन9 कुछ ऐसे क्षण भी है जब मैं अनुभव करता हूॅ कि यदि हम सब कन्धे से कन्धा मिलकार चलें और संवैधानिक नैतिकता को कायम रखने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो हम एक ऐसी नियमित दल व्यवस्था स्थापित कर सकते है, जिसमें स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व–भाव की रक्षा हो सकती है।[10]

लोकतंत्र के दोष–

इसमें कोई शक नही कि डॉ. अम्बेडकर का लोकतंत्र में अटूट विश्वास था, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लोकतंत्र व्यवस्था में कुछ दोष भी है। संसदीय व्यवस्था में अनेक अच्छी बातें मिलती है और सरकार जनता की सरकार, जनता द्वारा तथा जनता के लिए होती है, फिर भी आश्चर्य की बात है कि कई देशों में इसका खुलकर विरोध हुआ। इटली, जर्मनी तथा स्पेन में लोकतांत्रिक परम्पराओं के विरूद्व विद्रोह हुआ। वर्तमान समय में लोकतंत्र के विरूद्व लोगों की भावनाएं दिखाई पड़ती है। भारत में लोकतांत्रिक और संसदीय परम्पराओं के प्रति लोगों में असंतोष है। बहुत से लोग इनके पक्ष में नही है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र का मुख्य दोष यह है कि उसमें ''कार्यक्षमता या कार्य पद्धति बहुत धीमी है।'' यह कारण है कि यहां पहले लोकतंत्र था आज वहां अधिनायकवाद है। इसमें शीघ्र एवं तुरन्त निर्णय लेने की क्षमता होती है ''संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका को विधानपालिका द्वारा अवरोधित किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि जो कानून कार्यपालिका चाहे उन्हें विधानपालिका न बनाये और यदि ऐसा न हो तो न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यो में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। उनके कार्यो को गैर कानूनी करार दे सकती है। संसदीय लोकतंत्र में तानाशाही को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता नही मिलती। यही कारण है कि इटली, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में यह लोकतांत्रिक परम्परा बदनाम हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां तानाशाहों को स्थान मिला।[11]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11, November- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

लेकिन डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही को बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें वाद–विवाद तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है।

एक और दोषपूर्ण विचाराधारा है जिसने संसदात्मक सरकार या जनतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम किया है। अम्बेड़कर के अनुसार यह उस तथ्य को अनुभव करने की असफलता है जो यह कहता है कि ''राजनैतिक लोकतंत्र वहां सफल नही हो सकता जहां सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं है।''[12]

दोषपूर्ण विचारधाराओं के अतिरिक्त जो कि संसदात्मक लोकतंत्र की असफलता का कारण रही है, दोषपूर्ण संगठन भी एक मुख्य कारण है। अम्बेडकर ने बताया कि ''सभी राजनैतिक समाज दो वर्गो में विभक्त हो जाते है, शासक और शासित। लेकिन यह विभाजन एक बुराई का रूप धारण कर लेता हैं। यदि यह बुराई यहीं रूक जाए तो कोई बात नही है लेकिन यह व्यवस्था इतनी यांत्रिक तथा दृढ़ बना दी जाती है कि शासक लोग सदैव शासक वर्ग में से ही छांटे जाते है। यह इसलिए होता है कि सामान्यतः लोग यह जानने का प्रयास नहीं करते है कि स्वयं अपने ही शासक हैं। वे केवल इसी से संतुष्ट रहते है कि सरकार चुन दी और उसे स्वयं अपने ही ऊपर शासन करने के लिए छोड़ दिया।[13]

डॉ. अम्बेडकर ने यह चेतावनी दी कि यदि संसदात्मक लोकतंत्र भारत में असफल रहता है तो ''इसका परिणाम विद्रोह, अराजकता तथा साम्यवाद में परिवर्तित होगा।''[14] जिन पर देश की भारी जिम्मेदारी है उन लोगों को लोकतंत्र के दोषों पर ध्यान रखकर अपना कार्य करना चाहिये, यदि वे ऐसा नही करते है तो भारत में लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय बन जाएगा। अराजकता की सम्भावनाएँ बंढ जावेगी। इससे साम्यवाद के लिए मार्ग साफ हो जाएगा। ''मैं आपको इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में आग्रह किये देता हूँ और यदि आप यह चाहते हैं कि इस देश में संसदात्मक लोकतंत्र कायम रहे, यदि आपको यह विश्वास है कि आपकी विचार व्यक्त करने और कार्य करने की स्वतंत्रता बनी रहे यदि आपको स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है यदि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में विश्वास करते है तो इस देश के समाज के बुद्धिमान अंग होने के नाते आपका यह महान कर्त्तव्य है कि संसदात्मक सरकार की पद्धति को बनाये रखे, इसके लिए काम करें और इसे परिश्रम से सफल बनाये।''[15]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11, November- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

डॉ. अम्बेडकर यह अच्छी तरह जानते थे कि संसदात्मक लोकतंत्र ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे जादू–टोना से सफल बनाया जा सके। केवल जनता की लोकतांत्रिक भावनाएं ही लोकतंत्र को सफल बना सकती है। यदि वे इसके प्रति वफादार है और तदनुसार कार्य करें तो लोकतंत्र भलीभांति कार्य कर सकता है।

लोकतंत्र की सफल विधियॉ–

डॉ. अम्बेडकर ने लोकतंत्र के दोषों को ही नहीं बताया साथ–सथ उसकी सफलता के लिए कुछ आवश्यक सुझााव भी दिये। अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र का उद्देश्य किसी निरंकुश राजा पर इतना प्रतिबंध लगाना नहीं जितना की जन कल्याण करना है। यह तभी सम्भव हो सकता है। जब जनतंत्र की कार्य पद्धति को सही मार्ग पर चलाया जाए और जनता की सर्वांगीण प्रगति की जाए। यदि कुद शर्ते स्वीकार करके उन्हें संतुष्ट किया जाए तो निश्चत ही लोकतंत्र सफल हो सकता है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार सबसे पहली शर्त यह है कि लोकतंत्र में सदैव एक ही वर्ग द्वारा शासन नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि जो दल एक बार चुन लिया जाता है उसे पांच वर्ष के शासन के पश्चात जनता के समक्ष फिर से जाना पड़ता है और वह दल यह आग्रह करता है कि यदि वह आपके हितों की रक्षा कर सकता है तो उसे फिर से चुनकर भेजें। डॉ. अम्बेडकर इस प्रावधान से सन्तुष्ट नहीं थे। चुनी हुई सरकार को चुनौती देने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली ढंग अपनाये जाने चाहिएं उनकी दृष्टि में, लोकतंत्र में इस बात की आवश्यकता है कि जनता के हाथ में ही केवल पांच साल के बाद वीटों अधिकार (सरकार को हटाने का अधिकार) पर्याप्त नहीं है, संसद में भी ऐसा कोई विशेषाधिकार होना चाहिये ताकि शीघ्र ही उसे चुनौती दी जा सके और चुनी हुई सरकार को हटाया जा सकें।[16]

लोकतंत्र की कार्य सफलता के लिए, एक विरोधी दल का हाना आवश्यक है। विरोधी दल का सीधा अर्थ है कि सरकार की कार्य पद्धति की सदैव देखभाल होती रहेगी प्रत्येक चुनी गई सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की समस्त जनता के प्रति उत्तरदायी हो ओर अपने कार्यो को न्यायोचित ढंग से करें। ब्रिटेन और कनाडा में विरोधी दलों का सम्मान ही

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11, November- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

नहीं होता वरन् उनके नेताओं को वहां वेतन भी मिलता है ताकि वे अपने दलों को प्रभावशाली बना लें। इन दोनों देशों में, ''लोकतंत्र यह अनुभव करता है कि सरकार के काम–काज की देखभाल के लिए कोई होना चाहिए। यह देखना आवश्यक है कि सरकार गलत काम तो नहीं कर रही है। इस प्रकार की देखभाल निरन्त रूप से होनी चाहिए। इसलिए वहां के लोग विरोधी दलों पर धन खर्च करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते है।''[17]

लोकतंत्र की सफलता के लिए कानून तथा प्रशासन की दृष्टि में सब लोगों को समान समझा जाना चाहिए। मौलिक रूप से लोकतंत्र में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के समान है। डॉ. अम्बेडकर की सम्मति से पूर्ण स्वतंत्रता काल्पनिक हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें समानता को एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए।[18] सभी लोगों के समान अधिकार होने चाहिए। जाति, रंग और धर्म किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून की दृष्टि में जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही दण्ड मिलना चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार पार्टी सरकार का वास्तविक कार्य नीतियों का निर्धारण करना है न कि प्रशासन में हस्तक्षेप करना। प्रशासन में हस्तक्षेप का अर्थ होता है समानता का गला घोंटना। अतः लोकतंत्र को यदि सच्चा रूप देना है तो प्रशासनिक दोष दूर करने पड़ेगें।[19]

संवैधानिक नैतिकता का पालन करना लोकतंत्र की सफलता की एक और शर्त है। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ होता है कुछ नैतिक कर्तव्य, जिन्हें सब लोगों को पूरा करना चाहिए, लेकिन भारत में डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राजनैतिक जीवन के वातावरण को दूषित करने के बहुत से अवसर लोगों को मिलते है, क्योंकि वर्तमान संविधान में कानून के सभी क्षेत्र सन्निहित है लेकिन जिसे संवैधानिक नैतिकता कहते है वह लोगों में बहुत कम पाई जाती है।

अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए हम संवैधानिक तरीके अपनाएं। डॉ. अम्बेडकर ने स्वंय लिखा है ''यदि हम लोकतंत्र को न मात्र सिद्धान्तः वरन् व्यवहारतः बनाए रखना चाहते है तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम बात, हमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक विधियों में अटूट विश्वास रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें क्रान्ति के रक्तिक ढंगों का परित्याग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें नागरिक अवज्ञा, असहयोग एवं सत्याग्रह पद्धतियों को छोड़ना चाहिए। यदि आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11, November- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

सभी संवैधानिक तरीके असफल हो जाए तो असंवैधानिक ढंग अपनाने में कुछ न्यायिक संगति है। लेकिन जहां संवैधानिक ढंग खुले हों वहां असंवैधानिक विधियों को अपनाने में कोई युक्ति नहीं है ये विधियां अराजकता की जननी है। अतः जितना जल्दी हम उन्हें तिलांजलि दे सकें उतना ही अच्छा होगा।''[20]

लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि बहुमत के लोग अल्पमत वालों पर अत्याचार न करें। यह सच है कि प्रत्येक देश में अल्पसंख्यक लोग पाये जाते है। साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों में उनका प्रतिनिधित्व होता है और उनके अधिकार भी सुरक्षित रखते जाते है। उन्हें प्रगति तथा शिक्षा के लिए अनेक सुविधाएं दी जाती है। डॉ. अम्बेडकर ने कहाः ''अल्पमत वालों को यह पूर्ण विश्वास होना चाहिये कि वे सुरक्षित है हालांकि सरकार का काम–काज बहुमत वाले लोग ही करते हो, अल्पमत वालों का दमन नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें समाप्त करना चाहिए।''[21]

डॉ. अम्बेडकर ने यह भी बताया कि ''लोकतंत्र की कार्य–कुशलता के लिए समाज में नैतिक व्यवस्था का होना अति आवश्यक है।'' और अंत में उन्होंने जन–चेतना पर बल दिया। ''जन चेतना एक ऐसी भावना है जो किसी भी अन्याय के प्रति चाहे वह किसी पर किया जाता है, विद्रोहित हो जाती है और प्रत्येक जन–चेतना वाला व्यक्ति चाहे वह उस अन्याय से प्रभावित है या नही उनको मुक्ति दिलाने के लिए उसका साथी बन जाता है।''22 अतः भारत के नागारिक यदि लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते है ओर देश को प्रगतिशील एवं समृद्धिशाली बनाना चाहते है तो जन–चेतना तथा जन–सेवा की भावनाओं का होना आवश्यक है।

लोकतंत्र और दल पद्धति–

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार भी संसदीय लोकतंत्र में राजनैतिक दलों का होना आवश्यक है। दल पद्धति के बिना, लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, लेकिन वह नियमित दल व्यवस्था होनी चाहिए।[23] डॉ. अम्बेडकर की सम्मति में लोकतंत्र की पद्धति से लाभ उठाने के लिए कम से कम दो राजनीतिक दलों का होना तो अनिवार्य है। उन्होंने कहा, ''सरकार को चलाने के लिए दल आवश्यक है। लेकिन दो दल सरकार को निरंकुश बनने से रोकने के लिए आवश्यक है। लोकतांकित्र सरकार उसी समय तक लोकतांत्रिक है जब उसमें द्वि–दल

पद्धति कार्य करती हो, एक पक्ष में और दूसरी विपक्ष में।[24] राजैतिक दल चाहे दो हों या दो से अधिक हो प्रायः दो पक्षों में ही विभक्त हो जाते है। किसी देश में अनेक दल हो सकते है लेकिन पक्ष दो ही होते है।

किसी लोक तांत्रिक व्यवस्था में दल पद्वति को समाप्त करना भयंकर परिणामों का सूचक है। जिस दल के हाथों में सत्ता है, वह तानाशाही की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए ''सुरक्षा इसी में है कि दो राजनैतिक दल बनाए जाएं। सरकार की ार्य पद्धति की देखभाल करने के लिए, एक विरोधी दल का होना आवश्यक है अन्यथा वह सरकार सरलता से तानाशाही बन सकती है।'' राजनैतिक दलों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। सैद्धान्तिक रूप से राजनैतिक दल जनमत व्यक्त करने और उसके कार्य को चलाने की एजेन्सियां है, लेकिन व्यवहार में वे जनमत को प्रभावित तथा उत्पन्न यहां तक कि उसे नियंत्रित भी करती है। वास्तव में किसी दल का यही मुख्य कार्य होता है।[25]

अम्बेडकर के अनुसार राजनैतिक दल को दो कार्य करने चाहिए। सर्वप्रथम दल को चाहिए कि वह आम जनता के साथ विस्तृत सम्बन्ध बनाए रखें। दल को अपनी नीतियां, अपने विचार एवं सिद्धान्तों तथा उम्मीद्वारों को लेकर जन साधारण मे जाना चाहिए। दूसरा दल को चाहिए कि वह अपने सिद्धान्तों के पक्ष में जनता को करने के लिए एक विस्तृत स्तर पर प्रचार करें।[26] किसी भी राजनैतिक दल के लिए सामान्य जनता से मेल रखना आसान बात नहीं है। हालांकि कोई भी दल या समाज जनता के समर्थन के बिना चाहे वह कितना ही धनी क्यों ने हो, जीवित नहीं रह सकता।

संसदीय लोकतंत्र में बहुत से कार्य ऐसे है जो व्यक्तिगत रूप से नही हो सकते, लेकिन संगठित ढंग द्वारा उनसे लाभप्रद परिणाम प्राप्त हो सकते है। संगठित कार्यो के लिए यह आवश्यक है कि जनमत में व्यक्तिगत शुभ विचारों की छाप हो। इस प्रकार के जनमत तैयार करना ही किसी राजनैतिक दल का कार्य होता है। इसी पर उनकी कार्य क्षमता तथा सफलता निर्भर है। वह दल जिसमें यह कार्य–कुशलता नहीं है, राजनैतिक दल कहलाने का अधिकारी नहीं है।[27]

वस्तुतः किसी पार्टी को जीवित रखने के लिए तथा जनता की भलाई के लिए जन–सेवा और जन जागृति होना आवश्यक है। परन्तु ये सब अम्बेडकर ने कहा, स्वतंत्रता तथा साहस के बिना सम्भव नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि ''साहस का आधार स्वतंत्रता है और साहस उन लोगों में राजनीति, बिना सामाजिक आधार के अधूरी है। राजनीतिक लोकतंत्र तथा सामाजिक लोकतंत्र मं अटूट सम्बन्ध है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र में कम से कम दो बातों को होना आवश्यक है। ''प्रथम, अपने साथियों के साथ सम्मान तथा समानता की मनोवृति। द्वितीय ऐसा समाज जो कठोर नियमों से मुक्त हो।'' इसलिए ''लोकतंत्र पृथकता और अकेलेपन का विरोधी है क्योंकि इनका परिणाम भेदभावों तथा विभिन्न अधिकारों से प्रकट होता है।''32 लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में कुछ लोग सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हालांकि इसके बिना अपने राष्ट्र की एकता सुदृढ़ नहीं हो सकती है। वे लोग मुख्यतः कट्टरपंथी ब्राह्मण वर्ग के विद्वान यह युक्ति देते हैं कि अपनी जातीय उच्चता बनाए रखने के लिए सामाजिक दूरी रखना आवश्यक है। लेकिन वे लोग यह भूल जाते है कि उनकी उच्चता बनावटी है, एक धोखा है और यह उस समय तक है जब तक लोगों में सामाजिक चेतना का अभाव है, जिस समय शोषित वर्ग पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, सामाजिक उच्चता के बनावटी रूप का अन्त हो जाएगा।

संदर्भः–

1. बी.आर. अम्बेडकर, व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू द अण्टचेबिल्स 1946, पृ. 194
2. ऑल इण्डिया डिप्रेस्ट क्लासिक कान्फ्रेस (तृतीय अधिवेशन) नागपुर में दिया गया भाषणः जुलाई 1942
4. डॉ. अम्बेडकर– लाइफ एण्ड मिशन पृ. 487
5. व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव ढन टू द अटेचेबिल्स, पृ. 295
6. व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव ढन टू द अटेचेबिल्स, पृ. 296
7. बी.आर.अम्बेडकरः जनंतत्र के सफल कार्यन्वयन के लिए अनिवार्य शर्ते (लेख)
8. दस स्पोक अम्बेडकर वोल – 1, पृ. 50–51
9. दस स्पोक अम्बेडकर वोल – 1, पृ. 50

10. भगवानदास द्वारा संकलित एवं सम्पादित : दस स्पोक अम्बेडकर वोल II, 1969 पृ. 203
11. ऑ इण्डिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स स्टडी केम्प (दिल्ली) में दिया गया भाषणः 17.19.1943
12. दस स्पोक अम्बेडकर वोल – 1, पृ. 46
13. दस स्पोक अम्बेडकर वोल – 1, पृ. 46–47
14. दस स्पोक अम्बेडकर वोल – 1, पृ. 56
15. डी.ए.वी. कॉलेज जालन्धर (पंजाब) में दिया गया भाषणः 28.10.1951
16. दस स्पोक अम्बेडकर वोल–I, पृ. 64
17. दस स्पोक अम्बेडकर वोल–I, पृ. 65
18. एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, पृ. 39
19. दस स्पोक अम्बेडकर वोल–I, पृ. 65–68
20. संविधान सभा में दिया गया भाषण–25.11.1949
21. दस स्पोक अम्बेडकर वोल–I, पृ. 70
22. दस स्पोक अम्बेडकर वोल–I, पृ. 73
23. दस स्पोक अम्बेडकर वोल–II, पृ. 203
24. बी.आर.अम्बेडकरः रनाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, 1943, पृ. 77
25. बी.आर.अम्बेडकरः रनाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, 1943, पृ. 80
26. बी.आर.अम्बेडकरः रनाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, 1943, पृ. 80
27. बी.आर.अम्बेडकरः रनाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, 1943, पृ. 80
32. रानाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, पृ. 36